न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35/2022

1. धन्ना सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. सरस्वती वाल्या जीवनी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. सांनू पुत्र नरेन्द जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. काशल्या देवी पत्नी सावरमल जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक नूआं जरिये प्रबधंक तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू ।
4. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक भोजासर जरिये प्रबधंक तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू ।
5. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थीगणप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 103 जिसके खसरा नम्बर 34/719 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 1.78 हक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 6.37 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।प्रार्थीगण के खत खसरा नम्बर 34/719 से एक रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 31 में होते हुवे दक्षिण की तरफ डोटेड रास्ते तक जाता हे जो कि काफी प्रचलित एवं कदीमि रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है। जो कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का एक मात्र निकटतम रास्ता हे उसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 34/719 में आने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से ही करते आ रहे है इसलिए यह एक प्रचलित रास्ता बन गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त रास्ते बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें।प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही करते आ रहे है इसके अलावा प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार कटानी रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें। दिनांक 30/05/2023 को प्रार्थीगण ने उक्त अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते को कटानी हेतु कहा तो उक्त अप्रार्थीगण ने मना कर दिया इस बाबत प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तहसीलदार महोदय ने उक्त रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

को कटानी हेतु करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मैं उक्त रास्ते को कटानी नहीं कर सकता हू। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 34/719 में से आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित तथा नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार 20 फिट कायम रास्ता कटानी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलबाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उत्तर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 01 की ओर जरिये वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 तथ्यात्मक है।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 गलत है अतः अस्वीकार है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 34/719 से कोई भी रास्ता प्रत्यर्थीगण के खेत से नहीं जाता है जिस रास्ते बाबत प्रार्थीगण द्वारा इबारत की गयी है। वह कभी रास्ता व पगडंडी रहा ही नही है। प्रार्थीगण का अपने खेत मे आने जाने के लिये शुरू से हि अलग रास्ता है उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को हैरान परेशान करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो खारीज किये जाने योग्य है क्योकि मौके पर कभी भी रास्ता व पगडंडी नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया नजरी नक्शा झूठा तथा बनावटी पेश किया है उक्त नक्शानुसार मौके पर कभी भी रास्ता व पगडंडी नही रहा है। इस कारण से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत है अतः अस्वीकार है। प्रर्थीगण के खेत से कभी भी तथा प्रत्यर्थीगण के पूर्वजो के समय से भी प्रार्थीगण के खेत मे स्थित डोटेड रास्ते से जाने का रास्ता नही रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से करके आने की बात झूठी व कपोल कल्पित लिखी हुई है। मौके पर कोई रास्ता ना तो पूर्व में था ना वर्तमान मे प्रचलन में है। जिस रास्ते की प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करने की बात अपने प्रार्थना पत्र मे कर रहे है वो प्रत्यर्थीगण के जोत का खेत है।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत है अतः अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने कभी भी प्रत्यर्थीगण को उक्त रास्ते की बात नही की है जिस कारण मना करने का तो सवाल ही पैदा नही होता है प्रार्थीगण अपने रास्ते खेत खसरा संख्या 34 से निरन्तर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण ने झूठे आधारो पर तथा थ्यो का छुपाव कर माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज किये जाने योग्य है।यह कि प्रार्थना पत्र की गई मद संख्या 5 तथ्यात्मक है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 ,07, 08कानूनी है।लेकिन प्रार्थीगण ने आधारो पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन – यह कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 की कृषि भूमि से कोई भी अन्य रास्ता नही जाता है यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की कब्जे कास्त की भूमि मे जाने का किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है। पडौसी के कास्त की भूमि से प्रार्थीगण द्वारा निवेदन करने पर आने जाने की पगडंडी है।प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के लिये पडौसी के खेत मे एक पक्की सडक है जिससे प्रार्थीगण आने जाने मे उपयोग उपभोग कर रहे है।अतःजवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा करे।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 164 दिनांक 08.02.2024 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम भोजासर के ख.न. 34/719 रकबा 2.24

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

है, के खातेदार द्वारा अपनी आराजी भूमि में पहुंचने के लिए ग्राम भोजा सर के खसरा नम्बर 31 मे से 400 वर्ग मीटर भूमि संलग्न राजस्व नम्शे में लाल स्याही से अंकित अनुसार प्रस्तावित है। प्रस्तावित आराजी में पहुंचने के लिए प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता अतिरिक्त सुविधा के रूप में नही है। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शित अनुसार निकटतम है। प्रस्तावित रास्ते में कोई वृक्ष, संरचना आदि स्थित नहीं है।

तहसीलदार मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी पक्ष की ओर से निम्नानुसार आपति पेश कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 21.08.2022 को तहसील कार्यालय मण्डावा के द्वारा पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के बताये अनुसार मौका रिपोर्ट अपने कार्यालय में बैठक रिपोर्ट तैयार की है। प्रार्थीगण को इस बाबत सूचित नही किया। अतः उक्त मौका रिपोर्ट खारीज कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें।

प्रार्थी की ओर से आपति प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगल द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुवार बनायी गयई मौका रिर्पोट पर आपति पुत्तुत की हैं। परन्तु गलत व निराधार पर तथ्यों के आधार पर आपति दायर की है क्योकि मौका रिर्पोट न्यायालय के आदेशानुवार विधिक प्रक्रिया अपना कर ही तैयार की गयी है जितकी तुपना समय पर दी है और सुपना के बावजूद भी विपक्षीगण मौके पर उपस्थित नही आये । जबकि राजस्व टीम द्वारा मौके पर सौके अनुतार ही रिर्पोट तैयार की है और रिर्पोट में दर्ज अनुसार रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता भी प्राथी के उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है यही एक मात्र निकटतम रास्ता है। अतः जबाब आवेदन पत्र पेशकर निवेदन है कि विपक्षीगण बारा स्तुत आपति मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे

आपति प्रार्थना पत्र पर वकुलाय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराहे तथा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। वकील आवेदक द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झुठे एवं मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो कि मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने का निवेदन किया ।

हमने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अनावेदक/अप्रार्थी गण के द्वारा प्रस्तुत आपति तहसीलदार रास्ता मौका रिपोर्ट के संबंध प्रस्तुत तथ्यों की तायद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही कर सके जिसे अप्रार्थी के कथन सही प्रतीत हो। अतः अप्रार्थी का आपति प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इसके उपरान्त मूल प्रार्थना पत्र पर वकुलाय पक्ष को सुना गया ।

वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पास पहले से ही प्रचलित रास्ते है। अतः प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मद संख्या 1 लगायत 10 में

लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1 यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

2 अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे एक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा एक दर्शित नही किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 34/719 में पहुंच वावत खसरा न. ख.न. 31 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डवा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 34/719 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 31में रास्ते की लम्बाई 100 मी. व चौडाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा